

प्रेसनोट दिनांक 20.09.2023

1. दिनांक 19.09.23 को वादी उ0नि0 श्री प्रभाकान्त तिवारी थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि उ0नि0 श्री प्रभाकान्त तिवारी थाना को0नगर अयोध्या अभि0 महिलाओं को देखकर अमर्यादित गाना गाना तथा अश्लील हरकत करना। संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 633/23 धारा 294 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 19.09.23 को वादी श्री मनोज कुमार शर्मा प्र0नि0 को0अयोध्या अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि 1. शिवानन्द तिवारी पुत्र ओम प्रकाश तिवारी नि0 जलालपुर थाना नवाबगंज गोण्डा पूर्व से जेल में 2. राम सजन यादव पुत्र परशुराम यादव नि0 खाले का पुरवा अशोकपुर थाना नवाबगंज गोण्डाअभि0गण द्वारा अपने व अपने साथियों के आर्थिक एवं भौतिक व दुनियावी लाभ हेतु वाहन चोरी जैसा जघन्य अपराध कारित कर समाज में भय उत्पन्न करना संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 536/23 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 19.09.23 को वादी म0उ0नि0 दीपशिखा सिंह थाना पूराकलन्दर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि लालजी पुत्र राजेन्द्र नि0 हरदासपुर भावापुर थाना को0बीकापुर अयोध्या।गिर0 अभि0 द्वारा रास्ते में आने-जाने वाली स्कूली छात्राओं/महिलाओं पर भद्दी-भद्दी टिप्पणी करना। संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 457/23 धारा 294 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 19.09.23 को वादी उ0नि0 श्री वेद प्रकाश गुप्ता थाना रौनाही अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सुरजीत पुत्र दुखी नि0 बरिया निसारू थाना इनायतनगर अयोध्या।गिर0 अभि0 द्वारा रास्ते में आने-जाने वाली स्कूली छात्राओं/महिलाओं पर भद्दी-भद्दी टिप्पणी करना।जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 475/23 धारा 294 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 19.09.23 को वादी उ0नि0 श्री अजय कुमार त्रिपाठी थाना हैदरगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि गया प्रसाद पुत्र रामउजागिर नि0 उदईपुर सीहीपुर थाना हैदरगंज अयोध्या।गिर0 अभि0 द्वारा रास्ते में आने-जाने वाली स्कूली छात्राओं/महिलाओं पर भद्दी-भद्दी टिप्पणी करना। संबंध में थाना हैदरगंज मु0अ0सं0 187/23 धारा 294 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 19.09.23 को वादी उ0नि0 श्री राजेश चन्द्र तिवारी थाना तारुन अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि निक्कू पुत्र कुतरू नि0 चंद्रिकागंज हुसैनपुर थाना तारुन अयोध्या।गिर0 अभि0 द्वारा रास्ते में आने-जाने वाली स्कूली छात्राओं/महिलाओं पर भद्दी-भद्दी टिप्पणी करना। संबंध में थाना तारुन में मु0अ0सं0 256/23 धारा 294 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 19.09.23 को वादी श्री अरूण प्रताप सिंह प्र0नि0 इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि संत कुमार सिंह पुत्र स्व0 स्वामी नाथ नि0 जरईपुर थाना हलियापुर सुलतानपुर। अभि0 के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 420/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 19.09.23 को वादी उ0नि0 श्री रमेश कुमार थाना इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि नरसिंह पुत्र जगन्नाथ नि0 खड़बड़िया थाना इनायतनगर अयोध्या।गिर0 अभि0 द्वारा रास्ते में आने-जाने वाली स्कूली छात्राओं/महिलाओं पर भद्दी-भद्दी टिप्पणी करना। संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 422/23 धारा 294 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 19.09.23 को वादी उ0नि0 श्री संतोष मौर्या थाना कुमारगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश महारा पुत्र जंगली उर्फ वीरेन्द्र महारा नि0 पिठला थाना कुमारगंज अयोध्या।गिर0 अभि0 के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 175/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
10. दिनांक 19.09.23 को वादी उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना पटरंगा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मो0 तारिक पुत्र सैय्यद अहमद नि0 अलियाबाद थाना दरियाबाद बाराबंकी आदि 02 नफर दोनों गिर0 अभि0गण द्वारा रास्ते में आने-जाने वाली लड़कियों-महिलाओं को देख कर अश्लील गाना गाना व अश्लील हरकत करना। संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 217/23 धारा 294 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।